ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने ली हाई-लेवल बैठक

जयपुर, 3 जून। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं।

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन **(RCDF)** की प्रबंध संचालक **(MD)** श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बजट घोषणाओं, लंबित भुगतानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े निर्देश दिए। अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इनका आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन ही होगा।

समितियां स्वयं के खर्च पर लगा सकेंगी बीएमसी

मंत्री श्री कुमावत ने बल्क मिल्क कूलर्स **(BMC)** के आवंटन की भी समीक्षा की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत अब दुग्ध समितियां अपने स्वयं के पूंजी निवेश से भी बीएमसी स्थापित कर सकेंगी। इससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। बैठक में राज्य में बनकर तैयार हो चुके नए प्रोसेसिंग और कैटल फीड प्लांट्स के लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्री श्री कुमावत ने बताया कि जयपुर डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक और नई प्रोसेसिंग यूनिट, राजसमंद में 50 हजार लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है। वहीं, पाली में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फीड प्लांट,गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कैटल फीड प्लांट भी बनकर तैयार हो चुका है। इन नवनिर्मित प्लांट्स के लोकार्पण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने यह भी बताया कि कोटा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नए कैटल फीड प्लांट के भूमि पूजन को लेकर भी रणनीति बनाई गई।

बस ने बाइक को मारी टक्कर, कॉलेज स्टूडेंट घायल

चित्तौड़गढ़,वेब वार्ता। शहर में बुधवार दोपहर कलक्टर आवास के पास हादसा हो गया। निजी बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में कॉलेज की दो स्टूडेंट घायल हो गई। दोनों घायल छात्राओं को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने के बाद छात्राओं के परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। गंभीर चोट नहीं लगने से सभी ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने टक्कर मारने वाली बस को जब्त कर लिया है।

जानकारी में सामने आया कि ओवरब्रिज से उतर कर बाइक सवार दो कॉलेज की छात्राएं उदयपुर मार्ग की ओर जा रही थीं। इस दौरान निंबाहेड़ा की ओर से आई निजी बस ने प्रताप सर्किल पर जिला कलक्टर आवास के सामने बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार छात्राएं नीचे जा गिरी। मुख्य मार्ग होने के कारण मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई और जाम की स्थिति हो गई। राहगीरों ने दोनों छात्राओं को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां छात्राओं की पहचान कृष्णा जाट और भव्या चुंडावत के रूप में हुई। लोगों की सूचना पर परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां घायल छात्राओं के गंभीर चोट नहीं लगने से सभी ने राहत की सांस ली। इधर, हादसे के बाद चालक बस को मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया। सदर थाने से एएसआई बिंदु सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त बस और बाइक को थाने ले जाया गया है। पुलिस ने परिजनों को पुलिस थाने में रिपोर्ट देने को कहा है।बस ने बाइक को मारी टक्कर, कॉलेज स्टूडेंट घायल बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में कॉलेज की दो स्टूडेंट घायल हो गई। दोनों घायल छात्राओं को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी में सामने आया कि ओवरब्रिज से उतर कर बाइक सवार दो कॉलेज की छात्राएं उदयपुर मार्ग की ओर जा रही थीं। इस दौरान निंबाहेड़ा की ओर से आई निजी बस ने प्रताप सर्किल पर जिला कलक्टर आवास के सामने बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार छात्राएं नीचे जा गिरी। मुख्य मार्ग होने के कारण मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई और जाम की स्थिति हो गई। राहगीरों ने दोनों छात्राओं को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया।

सरकारी कर्मी के उच्च योग्यता छिपाने पर बर्खास्तगी की संभावना परखेगा सुप्रीम कोर्ट, जांच के बाद होगा फैसला

नई दिल्ली,वेब वार्ता। क्या एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी के लिए निर्धारित डिग्री से अधिक उच्च योग्यता छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के एक फैसले की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के केंद्र के निर्णय को बरकरार रखा था। उसने 'दसवीं पास' मानदंड से अधिक 'इंटरमीडिएट पास' होने की जानकारी छिपाई थी, जो 'कार्य सहायक' की नौकरी के लिए आवश्यक थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, अरविंद कुमार और श्री चंद्रशेखर की पीठ ने पवार सुभाष की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने हाई कोर्ट के 27 नवंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने सुभाष के लिए उपस्थित वकील से कहा, 'यह निर्णय प्रथम दृष्टया गलत है। हम इस निर्णय की जांच करेंगे। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जो कहता है कि उच्च योग्यता अयोग्यता का आधार नहीं हो सकती।' उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता ने 'कार्य सहायक' के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए निर्धारित योग्यता 'दसवीं पास' थी और उसने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह पहले से ही 'इंटरमीडिएट पास' था। इसने कहा कि सुभाष ने 2003 में 10वीं कक्षा पास की और 2006 में इंटरमीडिएट किया और 26 जुलाई, 2010 को इस पद के लिए आवेदन किया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुभाष द्वारा किए गए घोषणा के आधार पर उसे नौकरी के लिए शार्टलिस्ट किया गया। आवेदन के चरण में और बाद की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इसे 'जानबूझकर जानकारी छिपाने' के रूप में मानते हुए केंद्र सरकार ने 27 मई, 2013 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। सुभाष ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
Centre for Human Resource Development (CHRD)
Continuing Capacity Building Program (CCBP)

जोधपुर,वेब वार्ता। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रो.(वैद्य) गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा संचालित कंटीन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत विशेष व्याख्यान एवं विभागीय प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में कुलगुरु ने कहा कि सतत् शैक्षणिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम नवाचार, नैदानिक दक्षता तथा अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों एवं छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉ. प्रियंका गायकवाड़, स्नातकोत्तर अध्येता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, पीजीआईए ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने गर्भाशय ग्रीवा क्षरण (सर्वाइकल इरोजन) के कारणों, लक्षणों, निदान एवं उपचार के विभिन्न पहलुओं को केस-आधारित दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक समझाया। इसके पश्चात प्रो. चंदन सिंह द्वारा विभागीय प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों, औषधीय वनस्पतियों पर किए जा रहे अध्ययनों तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के तृतीय सत्र में डॉ प्रवीण कुमार ने विभागीय प्रस्तुति देते हुए विष विज्ञान एवं फॉरेंसिक आयुर्वेद से संबंधित शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को सबक नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी की इमारत पर चला बुलडोजर

बीड,वेब वार्ता। महाराष्ट्र के बीड में नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य आरोपित प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से जुड़ी एक निर्माणाधीन इमारत के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। बीड नगर परिषद ने स्थानीय निर्माण नियमों के उल्लंघन को लेकर शाहूनगर क्षेत्र में स्थित इस चार मंजिला इमारत के अवैध हिस्सों को हटाने का आदेश दिया था। लातूर के मूल निवासी और रसायन विज्ञान के विषय विशेषज्ञ कुलकर्णी वर्षों तक नीट का प्रश्नपत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा थे। उन्हें विगत माह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) प्रश्नपत्र लीक के सिलसिले में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। नगर निकाय के मुख्य अधिकारी शैलेश फडसे के अनुसार, शाहूनगर इलाके में स्थित यह इमारत निर्धारित भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करती पाई गई थी। अनियमितताओं का पता चलने के बाद नगर प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस दिया था और निर्धारित अवधि के भीतर इमारत के अनधिकृत हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने सोमवार को इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू की। नगर निकाय के अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदार स्वयं ही अनधिकृत हिस्सों को ढहा रहा है। फडसे के अनुसार, हमने नोटिस जारी किए थे। जानकारी मिली है कि मालिक ने स्वेच्छा से अनधिकृत निर्माण को हटा दिया है। यदि भविष्य में भवन निर्माण की अनुमति के लिए कोई आवेदन जमा किया जाता है तो मौके की मौजूदा स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और नियमों का पालन होने पर ही अनुमति दी जाएगी। सीबीआइ ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

फरार इनामी बदमाश की गिरफ्तारी और गुम मोबाइल बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य

जयपुर, 3 जून। राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा ने उत्कृष्ट पुलिसिंग और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सात पुलिसकर्मियों को कुल 60 हजार रुपये का नकद इनाम एवं प्रशंसा पत्र प्रदान करने की घोषणा की है। यह सम्मान एक ओर लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने वाले साइबर सेल के कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया गया है।

एआई+ स्मार्टफोन ने मई 2026 में 3 लाख से अधिक यूनिट बिक्री और 350 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल किया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 3 जून (का.सं.)। एआई+ स्मार्टफोन ने आज एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि की घोषणा करते हुए बताया कि कंपनी ने मई 2026 के दौरान 3 लाख से अधिक स्मार्टफोन यूनिट्स की बिक्री की है और 350 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि **Ai+** की उस दृष्टि को दर्शाती है जिसके तहत कंपनी भारत से एक नई पीढ़ी का टेक्नोलॉजी ब्रांड विकसित कर रही है, जो नवाचार, सुलभता और उपभोक्ता-केंद्रित सोच को साथ लेकर नई पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन अनुभव को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में प्रवेश के एक वर्ष से भी कम समय में एआई+ स्मार्टफोन देश के सबसे तेजी से उभरते स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक बनकर सामने आया है। इसकी सफलता के पीछे कंपनी का एक सरल लेकिन प्रभावशाली विश्वास है– टेक्नोलॉजी कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।

Ai+ Smartphone Crosses
3 Lakh Units
₹350 Crore+ Revenue
May 2026
Every device sold is a vote of confidence.
Making premium experiences accessible to all.

यह उपलब्धि अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई एआई+ स्मार्टफोन नोवा 2, नोवा 2 अल्ट्रा और नोवा फ्लिप की सफलता के बाद हासिल हुई है। इन उत्पादों ने कंपनी की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह साबित किया है कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच ऐसे तकनीकी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है जो नवाचार, आकर्षक डिज़ाइन और बेहतर मूल्य का संतुलन प्रदान करते हैं।

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, एआई+ स्मार्टफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और नेक्स्टक्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक, माधव शेठ ने कहा, एक ही महीने में 3 लाख यूनिट्स की बिक्री और 350 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल करना केवल एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। हमारा लक्ष्य केवल स्मार्टफोन बेचना नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य लाखों लोगों के लिए प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ, अधिक पारदर्शी और अधिक भरोसेमंद बनाकर डिजिटल विभाजन को कम करने में योगदान देना है। और हमारी यह यात्रा अभी केवल शुरुआत है। लॉन्च के एक वर्ष से भी कम समय में एआई+ स्मार्टफोन भारत के सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में से एक बन चुका है। अपने बढ़ते डिवाइस पोर्टफोलियो और कई प्रभावशाली उपभोक्ता पहल एवं साझेदारियों के जरिए, ब्रांड ने लगातार अपनी पहचान मजबूत की है। इसका उद्देश्य भारत से एक मजबूत और व्यापक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार करना है।

---

pnb Housing Finance Limited

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना।

श्री महेश चंद शर्मा यहां भी: पटवारी की ढाणी निनाद, हरमाड़ा घाट, जयपुर राजस्थान-**श्रीमती मीनू शर्मा:- प्लॉट नंबर 40 राज श्री विहार विजय सी के पिचे, लोहा मनदी रोड माछेदा, जयपुर राजस्थान, महेश चंद शर्मा:- फ्लैट नंबर एस2 सेकेंड फ्लोर, पी नंबर जी 82, करधनी, गोविंदपुरा, ब्लॉक जी, कालवाड़ रोड, जयपुर राजस्थान-302102**

ऋण खाता संख्या. एचओयू/जेपीआर/0517/383073

शाखा का पता: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसबी-59, यूडीबी टावर्स, पहली मंजिल, जयपुर नगर निगम के सामने, टोंक रोड, जयपुर-302015, अधिकृत अधिकारी का विवरण: नाम: अश्वनी कुमार शर्मा, शाखा के फोन नंबर: 0141-4044381

ईमेल आईडी: ashwani.kumar@pnbhousing.com, मोबाइल नंबर: 8094001205

निजी समझौता 22 जून 2025 को निष्पादित किया जाएगा

खरीददार की पहचान हो गई है

अधोहस्ताक्षरी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति (संपत्तियों) का कब्जा ले लिया है। सार्वजनिक बोली आमंत्रित करके नीलामी के सभी पूर्व प्रयास विफल रहे। अत:, आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लेखित सुरक्षित संपत्ति, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार, निजी समझौते के माध्यम से **''जैसा है जहां है'' और ''जैसा है जो है''** के आधार पर बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध है। निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी समझौते के माध्यम से बिक्री **''जैसा है, जहाँ है'' और ''जैसा है, जो है''** के आधार पर होगी। अत:, कोई सार्वजनिक बोली आमंत्रित नहीं की जाएगी।
2. खरीदार को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
3. खरीदार को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25% राशि में समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के अनुसार राशि जमा न करने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. यदि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा खरीद का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. यह संपत्ति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/देय राशि के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7. क्रेता को निजी समझौते के माध्यम से बेची जा रही संपत्ति से संबंधित सभी पहलुओं की उचित जांच-पड़ताल कर अपनी संतुष्टि के अनुरूप करनी चाहिए। क्रेता भविष्य में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
8. पीएनबीएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. एक से अधिक प्रस्तावों की स्थिति में, पीएनबीएचएफएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।
10. इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण और आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य व्यय, कर और शुल्क वहन करने होंगे।
12. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची:- रुपये 20,60,000/- (बीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) आरक्षित मूल्य (रु.) (इससे कम पर संपत्ति नहीं बेची जाएगी)

संपत्ति का विवरण:- फ्लैट संख्या एस-2, दूसरी मंजिल, प्लॉट संख्या जी-82, करधनी गोविंदपुरा ब्लॉक जी, कालवाड़ रोड, जयपुर 302012

दिनांक: 04.06.2026, स्थान: जयपुर, **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए (अधिकृत अधिकारी)**

कुत्तों और एआई का उपयोग कर कैंसर का पता लगा रही बेंगलुरु की कंपनी

बेंगलुरु,वेब वार्ता। कुत्तों की सूंघने की अद्भुत क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग कर बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाने में मदद कर रही है। इस तकनीक से कैंसर की बेहद सस्ती, सटीक और दर्दरहित जांच संभव हो सकती है। कंपनी का दावा है कि पिछले दो वर्षों में दूसरे चरण के परीक्षण के दौरान लगभग 1,500 लोगों पर परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में तकनीक 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता के साथ कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ने में सफल रही। डॉगनोसिस नामक स्टार्टअप कंपनी कुत्तों की असाधारण सूंघने की क्षमता और एआई-संचालित विश्लेषण के साथ कैंसर से जुड़े रासायनिक यौगिकों की पहचान कर रही है। इस परियोजना से जुड़े डाक्टरों का कहना है कि शुरुआती परीक्षणों में इस तकनीक ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। कैंसर विशेषज्ञ डा. स्वरातिका मजूमदार ने कहा, यह कैंसर का पता लगाने का प्रारंभिक, आसान और सस्ता तरीका है। यदि किसी को कैंसर है, तो कुत्ते लगभग 90 प्रतिशत मामलों में इसकी पहचान करने में सक्षम हैं। इस प्रक्रिया में मरीजों को 10 मिनट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मास्क में सांस लेने को कहा जाता है, जिससे उनकी सांस में मौजूद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद नमूनों को प्रयोगशाला में लाया जाता है, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते सेंसर और निगरानी प्रणालियों से सुसज्जित नियंत्रित परीक्षण सेटअप के अंदर सांस के नमूनों को सूंघते हैं। डॉगनोसिस के सीईओ आकाश कुल्गोद के अनुसार कुत्तों को गंध के माध्यम से रोग से संबंधित वीओसी संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा, मास्क में वीओसी होते हैं, जो मूल रूप से यह संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या नहीं। मास्क को प्रयोगशाला में लाया जाता है, जहां प्रशिक्षित कुत्तों की टीम इनका मूल्यांकन करती है और इन यौगिकों की सटीक पहचान करती है। कुत्तों की प्रतिक्रियाओं को सेंसर के माध्यम से रिकार्ड किया जाता है और एआइ-आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करके उनका विश्लेषण किया जाता है। डॉगनोसिस की आफिस एसोसिएट सृष्टि ने कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि सांस की जांच से ही कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत में विकसित तकनीक वैश्विक स्तर पर कैंसर का शीघ्र पता लगाने में योगदान दे सकती है। भारत में हर साल लाखों कैंसर के मामले सामने आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और जैविक पहचान प्रणालियों को मिलाकर विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां भविष्य में प्रारंभिक जांच और समय पर उपचार में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं।

भाजपा ने सचिन शर्मा को बनाया गंगापुर सिटी विधानसभा सोशल मीडिया संयोजक

गंगापुर सिटी। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग ने संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसके तहत भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सचिन शर्मा को गंगापुर सिटी विधानसभा सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति भाजपा राजस्थान प्रदेश सोशल मीडिया विभाग के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर जिला संगठन द्वारा की गई है। नियुक्ति पर सचिन शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर सहित पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की विचारधारा, जनहितकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सचिन शर्मा की नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं।

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड,
सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर, मैंने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के शुल्क के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	गोकुल प्रसाद (उधारकर्ता), संतोष बाई (सह-उधारकर्ता), दिलीप कुमार डांग (गारंटर) **MHL**000000199028	17/मार्च/26 रू. 299293/- दिनांक 14/मार्च/26 तक	पट्टा संख्या 81777 खसरा संख्या 670,, ग्राम एवं ग्राम पंचायत बनोर पंचायत समिति पिड़ावा पोस्ट सुनेल जिला झालावाड़ (राज.) झालावाड़, मंदिर के पास, झालावाड़, राजस्थान - 326036, संपत्ति का क्षेत्रफल: 325 वर्ग फुट, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - प्रकाश चंद का घर दक्षिण - गली पूर्व - रास्ता पश्चिम - कुइया	सांकेतिक कब्जा 29/05/2026 को लिया गया
2.	गिरिराज (उधारकर्ता), रेखा मेहरा (सह-उधारकर्ता), मोहन लाल (गारंटर) एलपी0000000213116	17/फ़रवरी/26 रू. 660168/- दिनांक 17/फ़रवरी/26 तक	पट्टा डीड जेडब्लूआर-87264 खसरा नंबर 773 ग्राम/ग्राम पंचायत रटलाई पंचायत समिति बकानी झालावाड़ राजस्थान 326023, आकार 1827, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - आम रास्ता दक्षिण - गली आफ्टर दैट हाउस ऑफ दयाराम दक्षिण - आम रास्ता पश्चिम - प्रकाश का घर	सांकेतिक कब्जा 29/05/2026 को लिया गया
3.	सुलोचना देवी (उधारकर्ता), पृथ्वी राम (सह-उधारकर्ता) **MHL**000000180473	16/मार्च/26 रू. 848377/- दिनांक 14/मार्च/26 तक	आवासीय भूखंड पट्टा संख्या 04 पुस्तक संख्या 28 आकार 1500 वर्ग फीट, पट्टा संख्या 04 पुस्तक संख्या 28 सदासिंह वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज. पर स्थित है। 335803, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - श्री साजन राम / श्री गोदू राम दक्षिण - श्री नंद राम / श्री नानू राम पूर्व - गली पश्चिम - श्री हरगोविंद सिंह / श्री करनैल सिंह	सांकेतिक कब्जा 01/06/2026 को लिया गया
4.	सुदी बाई (उधारकर्ता), शंकर लाल गुर्जर (सह-उधारकर्ता), शंकर लाल गुर्जर (गारंटर) **MHL**000000174416	16/मार्च/26 रू. 855088/- दिनांक 14/मार्च/26 तक	पट्टा संख्या 30, ग्राम छाछडी, ग्राम पंचायत- ओझायाड़ा, पंचायत समिति- सुवाणा, भीलवाड़ा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, 311025, संपत्ति का क्षेत्रफल: 1633 वर्ग फुट, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - भोजा / देवा गुर्जर दक्षिण - पूर्व की ओर - पश्चिम की ओर - स्वयं की संपत्ति	सांकेतिक कब्जा 30/05/2026 को लिया गया
5.	मेहराज बी (उधारकर्ता), मोहम्मद रईस (सह-उधारकर्ता), मोहम्मद आफताब (सह-उधारकर्ता), मो अयान (सह-उधारकर्ता), मोहम्मद आदिल (गारंटर) **MLP**000000185881	16/मार्च/26 रू. 672706/- दिनांक 14/मार्च/26 तक	बाजार नं.- 4, मस्जिद के पीछे, रामगंजमंडी, तहसील-रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.), माप आकार 466.3 वर्ग फिट पंजीकृत दिनांक 31.01.2024, पुस्तक नं. 1, जिला नं. 436, पृष्ठ नं. 43, क्रम संख्या 202403461100268 अन्य पुस्तक संख्या 1, जिला संख्या 1766, कोटा, राजस्थान, 326519, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - निकास पाटन चारेक बड़ गली सेफू भाई का घर दक्षिण - सरजू बाई का घर गली पूर्व - मोहन लाल बापू लाल पोरवाल का घर पश्चिम - गली सरजू बाई का घर	सांकेतिक कब्जा 30/05/2026 को लिया गया

दिनांक : 04.06.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान : झालावाड़, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, कोटा **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**